प्रेस विज्ञप्ति

16.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गोवा में भूमि हड़पने के मामलों के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 15/02/2024 को विक्रांत शेट्टी और राजकुमार मैथी को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 20/02/2024 तक ईडी को उनकी हिरासत दे दी है।

ईडी ने गोवा राज्य भर में अचल संपत्तियों को अवैध रूप से हथियाने में शामिल विक्रांत शेट्टी, मोहम्मद सुहैल, राजकुमार मैथी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध गोवा पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। तदनुक्रम में मामले की जांच के लिए गोवा सरकार द्वारा गोवा पुलिस की एक विशेष जांच टीम (SIT) का भी गठन किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपने नाम पर या अपने सहयोगियों/रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गईं। ये अचल संपत्ति उनके पूर्वजों की है इस दावे की पुष्टि हेतु आरोपी व्यक्तियों ने भूमि रिकॉर्ड में जाली दस्तावेज शामिल किए। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर वे भूमि रिकॉर्ड में अपना नाम अद्यतन/सम्मिलित कराने में सक्षम हुए। इनमें से कुछ संपत्तियाँ आरोपी व्यक्तियों द्वारा गोवा और अन्य राज्यों के क्रेताओं को बेच दी गईं। इस मामले में 39.24 करोड़ रुपए की 31 संपत्तियों को कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

उपरोक्त दोनों व्यक्ति, अर्थात् विक्रांत शेट्टी और राजकुमार मैथी, अन्य सहयोगियों/अभियुक्त व्यक्तियों के साथ, भूमि अभिलेखों की जालसाजी/हेरफेर करने और परिणामस्वरूप पूरे गोवा में बड़े पैमाने पर भूमि को अवैध रूप से हड़पने में प्रमुख थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।